



उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास
प्राधिकरण
(यूपीडा)

बोर्ड की 37वीं बैठक की कार्यवृत्त।
दिनांक 16.01.2018

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.01.2018 को सम्पन्न हुई 37वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :-

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। -अध्यक्ष
2. श्री नरेन्द्र कुमार चौबे, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ०प्र० शासन, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त विभाग) -सदस्य
3. श्री अभय कुमार, उप सचिव, लोक निर्माण, उ०प्र० शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण) -सदस्य
4. श्री बाबू राम, उप सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ०प्र० शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) -सदस्य
5. श्री एस०एल० मौर्या, उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) -सदस्य
6. श्री टी०एन० मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० औद्योगिक विकास निगम, लि० कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) -सदस्य

विशेष आमंत्रि:-

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री ए०के० पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री जे०पी० सिंह, विशेष कार्याधिकारी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यूपीडा।
4. श्री ओ०पी० पाठक, विशेष कार्याधिकारी मू-अर्जन, यूपीडा।
5. श्री वी०सी० तिवारी, विशेष कार्याधिकारी वन, यूपीडा।
6. श्री के०के० सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
7. श्री डी०पी० सिंह, विशेष कार्याधिकारी (उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी), यूपीडा।
8. श्री एन०एन० श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
9. श्री किशोर पाण्डेय, प्रबन्धक (वित्त), यूपीडा।
10. श्री अनूप श्रीवास्तव, प्रबन्धक (तकनीकी), यूपीडा।
11. श्री के०के० गुप्ता, सलाहकार वित्तीय संस्थाएं, यूपीडा।
12. श्री बी०एस० दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेंट सेल), यूपीडा।
13. श्री शरद तिवारी, सलाहकार (विधि), यूपीडा।
14. श्री पी०एन० टण्डन, प्रबन्धक (पर्यावरण), यूपीडा।
15. श्री एस०पी० तिवारी, प्रबन्धक प्रशासन, यूपीडा।
16. श्री जय कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, यूपीडा।
17. श्री विनोद लाल दास, ज्येष्ठ खनन अधिकारी, यूपीडा।



उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 37वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया एवं एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:-

एजेण्डा बिन्दु संख्या 1:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.12.2017 को सम्पन्न हुई 36वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

निदेशक मण्डल द्वारा 36वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 2:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.12.2017 को सम्पन्न 36वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया:-

2.3 आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवेज नियंत्रित एक्सप्रेसवेज (ग्रीन फील्ड) परियोजना पर टोलिंग प्रारम्भ करने हेतु प्रारम्भिक 6 माह में टोल दरों पर छूट देने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया और इस सम्बन्ध में 15 जनवरी, 2018 को नोटिफिकेशन जारी हो गया है, एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3 से निर्गत आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई, अवगत कराया गया कि यूपीडा 19 जनवरी, 2018 की मध्य रात्रि से टोल वसूली प्रारम्भ करायी जायेगी।

2.4 मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में प्रचलित वादों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये यह भी अवगत कराया गया कि, यूपीडा के श्री पी0के0 तिवारी विधिक सलाहकार की सड़क दुर्घटना में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी, उनके स्थान पर श्री शरद तिवारी विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, एवं वादों के निस्तारण हेतु त्वरित कार्यवाही की जा रही है।

2.5 संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार पर प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में अग्रिम कार्यवाही की गई।

2.6 उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) का आय-व्यय पर बजट बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

2.7 वित्तीय वर्ष 2017-18 में यूपीडा प्राधिकरण के कार्य संचालन हेतु व्ययों को एजेन्सी चार्ज के रूप में प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्त के क्रम में अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संस्तुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3:-

आगरा से लखनऊ 6 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवेज पर (-) 2.634 कि मी से 0.0000 से 299.588 कि मी पर प्रथम चार माह की अवधि के लिए मेसर्स पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक प्रा0लि0 की 'यूजर फीस कलेक्शन सेवाएँ' प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अवगत कराया की टोल वसूली के सम्बन्ध में टेंडर प्रक्रिया गतिशील है, विडिंग की प्रक्रिया में गत दिवस एक मीटिंग हो चुकी है, तथा मार्च 2018 के अन्त तक टोल कलेक्टर का चयन प्रस्तावित है। यदि टोल वसूली में विलम्ब किया जाता है तो लगभग रु0 90 करोड़ का नुकसान हो सकता है, अतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक, जो पैकेज-1 के निर्माणकर्ता है, एवं टोल वसूली का पर्याप्त अनुभव है, उनसे निगोशियेशन कर के टोल वसूली के कार्य हेतु अनुभवी

कर्मी लेकर 19 जनवरी, 2018 की मध्यरात्रि से यूपीडा द्वारा टोल वसूली प्रारम्भ कराया जायेंगा। वित्त विभाग के सदस्य, अपर निदेशक ने सुझाव दिया की टोल वसूली से प्राप्त धन राशि आल्टर्नेट डे में बैंक में न जमा कर के उसी दिन या अगले दिन जमा कराने की व्यवस्था रखी जाये और यदि अगले दिन राजकीय अवकाश या बैंक बन्दी होती है, तो उसके अगले कार्य दिवस में अवश्य जमा कर दी जायें।

कार्यवाही/निर्णय:-

उक्त संशोधन अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया गया एवं प्रस्ताव निदेशक मण्डल द्वारा भी अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 4-

'प्रयाग लिंक एक्सप्रेसवे' परियोजना की 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने हेतु परामर्शी के चयन के लिये 'टर्म्स ऑफ रेफरेन्स' के आलेख्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि मा 0 उप मुख्यमंत्री, उ 0 प्र 0 सरकार, द्वारा तीर्थराज प्रयाग को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है। तदक्रम में धार्मिक नगरी, प्रयाग (इलाहाबाद) को प्रस्तावित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने हेतु एक 04 लेन चौड़ा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे "प्रयाग लिंक एक्सप्रेसवे" विकसित करने हेतु प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराने के लिये परामर्शी के चयन हेतु 'टर्म्स ऑफ रेफरेन्स' का आलेख्य यूपीडा निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही/निर्णय:-

उक्त 'प्रयाग लिंक एक्सप्रेसवे' परियोजना की 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने हेतु परामर्शी के चयन के लिये तैयार किये गये 'टर्म्स ऑफ रेफरेन्स' के आलेख्य पर निदेशक मण्डल द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 5:-

अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का अनुमोदन।

प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने निदेशक मण्डल को अवगत कराया कि, यूपीडा का कोई नियमित स्टॉफ नहीं है, संविदा पर कार्यरत अधिकारियों से कार्य कराया जा रहा है, जिनका कार्यकाल 3 माह से 1 वर्ष रहता है, उनकी कार्य की आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर कार्य बढ़ाया जाता है, केवल तकनीकी, भू-अर्जन सेल (राजस्व विभाग) एवं वित्त विभाग के पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति पर है। इसलिये जिन कर्मियों का सेवा काल बढ़ाया गया है, उनका अनुमोदन प्रस्तुत है।

कार्यवाही/निर्णय:-

प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या 6:-

Approval of Remaining Change of Scope (CoS) for which notices have been issued/ are to be issued.

मुख्य अभियन्ता ने अवगत कराया कि, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे में कतिपय परिवर्तन किये गये हैं, अवगत कराया गया है, कि एन 0 एच 0 आई 0 द्वारा अपने टोल कलेक्शन सेंटर को ई 0 टी 0 सी 0 (इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन) किया जा रहा है, इसके अर्न्तगत वाहनों पर एक आर 0 एफ 0 आई 0 डी 0 (Radio Frequency Identification) टैग लगा होता है, जिससे वाहन टोल प्लाजा से कास होने पर टोल स्वतः कट जाता है। वर्तमान में एक्सप्रेसवे पर जो टोल डिजाईन में द्वाएँ एवं बाएँ दो-2 लेनो में आटोमेटिक टोल कलेक्शन स्मार्ट कार्ड से होना है, शेष दो लेन में मैनवेल रसीद काटी जायेंगी।

आर०एफ०आई०डी० टैग निशुल्क दिया जायेगा, इससे टोल कलेक्शन आसान होगा, लागत कम होगी एवं वाहनों को बिना रूके टोल पार करना आसान होगा और इसका लाभ भविष्य में कम समय लगने के कारण ट्रैफिक में वृद्धि होगी, इस व्यवस्था को लागू करने में अनुमानित लागत रू० 10 करोड़ आने की सम्भावना है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि वास्तविक लागत ज्ञात करके आगामी निदेशक मण्डल बैठक में अवगत कराया जायें।

कार्यवाही/निर्णय:-

प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या० 7:-

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर अर्थोरिटी इंजीनियर के स्टॉफ में पर्यावरण के कार्यों से सम्बन्धित अधिकारी को एक वर्ष तक बढ़ाये जाने के प्रस्ताव।

उक्त पर चर्चा करते हुये मुख्य अभियन्ता ने अवगत कराया है, कि अर्थोरिटी इंजीनियर में तैनात पर्यावरण विशेषज्ञ का कार्यकाल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण अवधि की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो रहा है, यूपीडा के पर्यावरण प्रबन्धक ने अवगत कराया है, कि CEIA की रिपोर्ट में प्राप्त सुझावों के अनुसार वायु, जल, ध्वनि एवं अन्य की मॉनिटरिंग एवं उसकी रिपोर्ट, पौधों के रोपण एवं उनके रखरखाव आदि जल उत्स्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के संचालन एवं रखरखाव, सालिड वेस्ट के उचित निस्तारण एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि अन्य कार्यों की मॉनिटरिंग एवं नियमित रूप से भेजी जाने वाली रिपोर्ट के प्रेषण हेतु पर्यावरण विशेषज्ञ की सेवाएं जारी रखनी हैं। इस लिये वर्तमान में अर्थोरिटी इंजीनियर में कार्यरत पर्यावरण विशेषज्ञ जिनकी आजतक की सेवायें संतोषजनक हैं, की सेवाएं परियोजना के निर्माणकर्ताओं के अनुबन्ध के अनुसार अनुरक्षण अवधि में भी एक वर्ष के लिये बढ़ाये जाने प्रस्ताव रखा गया है। एन०जी०टी० में यूपीडा का जो कैस चल रहा था, उसका निर्णय यूपीडा के पक्ष में हो गया है। इस प्रकार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के वन एवं पर्यावरण से सम्बन्धित सभी क्लीरेंस प्राप्त हो गये हैं।

कार्यवाही/निर्णय:-

प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या० 8:-

यूपीडा द्वारा 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' के समीप 'इण्डस्ट्रियल कारीडोर' की स्थापना हेतु 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने के लिए परामर्शी के चयन हेतु तैयार किये गये 'आर०एफ०क्यू०-कम-आर०एफ०पी०' का अनुमोदन।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि दिनांक 27.11.2017 को आहूत निदेशक मण्डल की 35वीं बैठक में 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' के समीप 'इण्डस्ट्रियल कारीडोर' की स्थापना हेतु 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने के लिए परामर्शी के चयन हेतु 'टर्म्स आफ रेफेरन्स' पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। उक्त अनुमोदित 'टर्म्स आफ रेफेरन्स' पर 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा भी दिनांक 28.11.2017 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया था।

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्त के क्रम में यूपीडा द्वारा 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' के समीप 'इण्डस्ट्रियल कारीडोर' की स्थापना हेतु 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने के लिए परामर्शी के चयन हेतु 'आर०एफ०क्यू०-कम-आर०एफ०पी०' तैयार कर अपर मुख्य सचिव,

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ० प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 15.01.2018 में अतिमीकरण तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। उक्त बैठक में 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा निर्णय लिया गया कि 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' के समीप 'इण्डस्ट्रियल कारीडोर' की स्थापना हेतु 'प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने के लिए परामर्शी के चयन हेतु तैयार किये गये 'आर०एफ०क्यू-कम-आर०एफ०पी०' अभिलेख पर समिति द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है तथा यूपीडा द्वारा अपने निदेशक मण्डल से उक्त 'आर०एफ०क्यू-कम-आर० एफ०पी०' पर अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए।

तदनुसार यूपीडा द्वारा 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' के समीप 'इण्डस्ट्रियल कारीडोर' की स्थापना हेतु 'प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने के लिए परामर्शी के चयन हेतु तैयार किये गये 'आर०एफ०क्यू-कम-आर०एफ०पी०' का आलेख्य निदेशक मण्डल के अतिमीकरण तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल द्वारा 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' के समीप 'इण्डस्ट्रियल कारीडोर' की स्थापना हेतु 'प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने के उद्देश्य से परामर्शी के चयन हेतु तैयार किये गये 'आर०एफ०क्यू-कम-आर०एफ०पी०' के आलेख्य पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित आर०एफ०क्यू-कम-आर०एफ०पी० को विडिंग हेतु ई-प्रक्रिया के माध्यम से जारी करने के निर्देश निर्गत किये गये।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या 9:-

प्रयाग लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना की 'प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने हेतु 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' के 'परियोजना विकास परामर्शी' मे० आई०आई०डी०सी० लि० (परिवर्तित नाम मे० आई०एल०एण्ड०एफ०एस० टाउनशिप एण्ड अर्बन एसेट्स लि०) की सेवायें प्राप्त करने सम्बन्धित विचार-विमर्श के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि दिनांक 15.01.2018 को अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ० प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' की बैठक में निर्णय लिया गया है कि यूपीडा द्वारा परियोजनाओं की 'प्री फिजीबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने हेतु परामर्शी के चयन के लिये आवश्यक अनुमोदन यथा टी०ओ०आर०, आर०एफ०क्यू-कम-आर०एफ०पी० अभिलेखों आदि, 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' के स्थान पर यूपीडा निदेशक मण्डल से ही कराते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न करायी जाये।

उपरोक्त संदर्भ में अवगत कराया गया कि एजेण्डा बिन्दु संख्या- 4 पर यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में तीर्थराज प्रयाग को प्रस्तावित 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे' से जोड़ने हेतु 04 लेन चौड़ा ग्रीन फील्ड 'प्रयाग लिंक एक्सप्रेसवे' विकसित करने हेतु प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराई जानी है। मा० उप मुख्यमंत्री, उ० प्र० सरकार द्वारा प्रस्तावित उक्त परियोजना के क्रम में यह भी अवगत कराया गया कि आगामी कुंभ से पूर्व 'प्रयाग लिंक एक्सप्रेसवे' का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की योजना है।

निदेशक मण्डल के संज्ञान में लाया गया कि उक्त प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाने के लिये आर०एफ०क्यू-कम-आर०एफ०पी० के माध्यम से परामर्शी के चयन में कम से कम 40-45 दिन का समय लगना सम्भावित है। इसलिये यदि 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' के परियोजना विकास परामर्शी

मे0 आई0आई0डी0सी0 लि0 (परिवर्तित नाम मे0 आई0एल0एण्ड0एफ0एस0 टाउनशिप एण्ड अर्बन एसेट्स लि0) की सेवायें "प्रयाग लिंक एक्सप्रेसवे" की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाने के लिये ली जाती हैं तो उनके द्वारा इस सम्बन्ध में तत्काल कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है, जिससे परामर्शी के चयन की प्रक्रिया में लगने वाले समय की बचत की जा सकती है।

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' तथा 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराने हेतु भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के इम्पैन्ल्ड परामर्शियों से प्रस्ताव प्राप्त करने के उपरान्त भी परामर्शी चयन की प्रक्रिया में लगभग दो माह का समय लगा था तथा प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट हेतु दोनों परियोजनाओं में से न्यूनतम फीस लगभग रुपये 84,000.00 प्रतिकिमी0 (जीएसटी सहित) आती है।

अग्रत्तर निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि तीर्थराज प्रयाग को प्रस्तावित "पूर्वांचल एक्सप्रेसवे" से जोड़ने हेतु प्रस्तावित 'प्रयाग लिंक एक्सप्रेसवे' की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिये 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' के परियोजना विकास परामर्शी मे0 आई0आई0डी0सी0 लि0 (परिवर्तित नाम मे0 आई0एल0एण्ड0एफ0एस0 टाउनशिप एण्ड अर्बन एसेट्स लि0) ने अपनी सेवायें प्रदान करने हेतु अपने पत्र दिनांक 16.01.2018 द्वारा रुपये 75,000 प्रति किमी0 (सभी करों सहित) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए तथा प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराने में समय की बचत एवं कम लागत में कार्य कराने के दृष्टिगत यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरांत मे0 आई0आई0डी0सी0 लि0 (परिवर्तित नाम मे0 आई0एल0एण्ड0एफ0एस0 टाउनशिप एण्ड अर्बन एसेट्स लि0) से कुल रू0 70,800.00 (रू0 60,000.00 + जी0एस0टी0 @18%) प्रति कि0मी0 की दर पर 'प्रयाग लिंक एक्सप्रेसवे' की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट एजेण्डा बिन्दु संख्या-4 पर अनुमोदित 'टर्म्स ऑफ रेफरेन्स' के अनुसार तैयार कराने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही/निर्णय:-

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया कि टोल में छूट के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पूर्व में भेजा गया था, उसमें प्रदेश के एम0एल0ए, 0एम0पी0 एवं एम0एल0सी0 के नाम छूट गये थे। जिन्हें सम्मिलित करने के लिये प्रशासनिक विभाग को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है। निदेशक मण्डल के सदस्यों ने अनुशोध किया है, कि एक्सप्रेसवे पर उन्हें यात्रा करते समय टोल से छूट प्रदान की जानी चाहिए। उक्त पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी की निदेशक मण्डल के नामित सदस्यों को पहचान पत्र यथाशीघ्र निर्गत किये जाये जिससे वे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यात्रा कर सकें। वित्त विभाग की प्रतिनिधि ने अनुरोध किया की टोल कलेक्शन एजेन्सी से अनुबंध में डिफाल्टर क्लोज होना चाहिये। उक्त पर मुख्य अभियन्ता ने अवगत कराया है, कि वर्तमान में रू0 12 करोड़ की बैंक गारण्टी ली जा रही है। चूंकि अभी केवल 4 माह के लिये यह व्यवस्था लागू की जा रही है। तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुये बहुत अधिक कड़े प्रतिबंध नहीं लगाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्णय लिया कि प्रत्येक सप्ताह यूपीडा के अधिकारी दोनों टोल कलेक्शन केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया कि, बिड का प्रोसेस प्रारम्भ हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के आठों पैकेजों हेतु निर्माणकर्ताओं के चयन के लिये दिनांक 08 जनवरी, 2018 को ई-प्रोक्वोरमेंट प्लेटफार्म <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से आर0एफ0क्यू0 डाक्यूमेंट जारी किये गये हैं।

जारी किये गये आर0एफ0क्यू0 डाक्यूमेंट के क्रम में इच्छुक आवेदनकर्ताओं के साथ-विचार-विमर्श हेतु निविदा मूल्यांकन समिति की उपस्थिति में समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में प्री-अप्लीकेशन मीटिंग दिनांक 20.01.2018 को मध्याह्न 12:00 बजे आयोजित की गयी है। क्वालीफिकेशन एवं शार्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया दिनांक 15.02.2018 तक पूर्ण कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में बिड की निर्धारित की गई टाइमलाइन निम्नवत् है।

1. बिड डाक्यूमेंट विक्रय की आरम्भ तिथि 16.02.2018 है।
2. प्री-बिड मीटिंग 24.02.2018 है।
3. बिड खोले जाने की तिथि 14.03.2018 है।
4. लेटर ऑफ अवार्ड (एल0ओ0ए0) 22.03.2018 है।

यूपीडा द्वारा हडको से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण के आंशिक वित्तपोषण हेतु लिए गए रू0 1530.64 करोड़ के ऋण को इलाहाबाद बैंक द्वारा टेक-ओवर किए जाने के सम्बन्ध में हडको द्वारा सूचित किया गया था कि हडको के ऋण को पूर्व-भुगतान किए जाने की स्थिति में आउट-स्टैंडिंग ऋण-राशि के 02.00 प्रतिशत की दर से प्री-पेमेंट चार्ज राशि 15.70 करोड़ और उस पर 18.5260 करोड़ देय होगी। इस सम्बन्ध में हडको के अध्यक्ष सह प्रबन्ध-निदेशक को 17 दिसम्बर, 2017 को इस राशि को अधित्याग (waive) किए जाने हेतु एक पत्र प्रेषित किया गया है, एवं इसी के अनुसरण में 09 जनवरी 2018 को पुनः पत्र लिखा गया है, इसी क्रम में यह भी सूच्य है, कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिये रू0 2 हजार करोड़ का ऋण इलाहाबाद बैंक द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।

वित्त विभाग के प्रतिनिधि सदस्य ने सुझाव दिया कि टोल कलेक्शन प्रारम्भ होने के बाद टोल कलेक्शन केन्द्रों का सॉफ्टवेयर किसी राजकीय संस्था/एन0आई0सी0 से टेक्निकल ऑडिट कराया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की एवं अध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध में टेक्निकल ऑडिट कराये जाने का प्रस्ताव को स्वीकार कर प्रक्रिया निर्धारण हेतु वित्त नियंत्रक यूपीडा को निर्देशित किया।


एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियंत्रण हेतु यूपीडा में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है, एवं 10 वाहनों पर 120 भूतपूर्व सैनिकों के माध्यम से 24 X 7 पेट्रोलिंग कार्य कराया जा रहा है, पेट्रोलिंग टीम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये दुर्घटना स्थल पर तत्काल पहुंच कर यातायात व्यवस्थित करती है, घायलों को डायल 100 एवं एम्बुलेंस के माध्यम से सहायता पहुंचाती है, एवं सम्बन्धित पैकेजों के निर्माणकर्ता संस्था से सम्पर्क कर केन के माध्यम से दुर्घटना ग्रस्त वाहन हटवायी जाती है, सभी पेट्रोलिंग वाहनों की कन्ट्रोल रूम से जी0पी0एस0 सिस्टम के माध्यम से लगातार 24 X 7 मॉनीटरिंग की जा रही है।

एक्सप्रेसवे पर दिनांक 19.01.2018 से टोल प्रारम्भ हो रहा है, एवं भारी वाहनों को एक्सप्रेसवे के प्रयोग की अनुमति दी जा चुकी है। अतः सड़क सुरक्षा यातायात नियंत्रण हेतु एक पुलिस उपाधीक्षक की नियुक्ति संविदा पर की गई है। एवं प्रत्येक पी0आई0यू0 पर एक पुलिस निरीक्षण संविदा पर नियुक्त की जा रही है, जो भारी वहनो के यातायात निरीक्षण एवं दुर्घटना को नियंत्रण हेतु कार्य करेंगे।

आगरा-लखनऊ पर 15 पुलिस चौकियों का निर्माण शीघ्र पूरा होने के बाद उनके संचालन हेतु पुलिस महानिदेशक उ०प्र० से अनुरोध किया जाना है। एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना की स्थिति में घायलों की तत्काल चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिये 4 एम्बुलेंस किराये पर लिये जाने की माँग वेबसाइट के माध्यम से की गई है। उपरोक्त प्रयासों की निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा सहराना की गई एवं कार्यों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.01.2018 को सम्पन्न हुई 37वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, पत्रावली में दिनांक 25 जनवरी, 2018 को अनुमोदित किये गये हैं।


(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूपीडा, लखनऊ।